>

Title: Problems being faced by implementation of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment and Validation) Bill, 2010.

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): सम्मानित सभापति जी, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल अवशेष संशोधन एवं विधिमान्यकरण अधिनियम, 2010 लागू होने से 100 मीटर तक निर्माण कार्य पर पूरा प्रतिबन्ध और उससे आगे 200 मीटर तक नवनिर्माण, पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य सक्षम अधिकारी की अनुमिति से आवश्यक हो गये हैं, अन्यथा निर्माण अवैध होगा तथा दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आ जायेगा।

इस प्रकार का संरक्षण दिल्ली में लाल किला तथा आगरा में ताजमहल जैसी अति-विशिष्ट एवं सुप्रसिद्ध एतिहासिक धरोहरों पर लागू करना तो शायद उचित होगा, परन्तु हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में यह सर्वथा उचित नहीं है। हमारे क्षेत्र में नूरपुर, चम्बा, कांगड़ा, बैजनाथ, भरमौर, किन्नौर, शिमला, सिरमौर सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ये छोटे-छोटे कस्बे हैं, 1-1 किलोमीटर के शहर हैं। इससे लोग पूरी तरह से स्तब्ध हो चुके हैं। यह मौलिक अधिकारों का यह हनन है तथा संविधान का गला घोंटा गया है। यह कल्याणकारी राज्य की परिभाषा का अपमान है। एक व्यक्ति, जो पूरे जीवन की पूंजी तथा खून-पसीने की कमाई से एक मकान बनाता है, उसे अवैध करार दिया जा रहा है। सभी सरकारी विभाग भी इससे विस्थापित हो जाएंगे, चाहे कार्यपालिका के हों, चाहे न्यायपालिका के हों, क्योंकि निर्माण व मरम्मत के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगाई जा सकती है।

मैं इस तुगलकी फरमान की घोर निन्दा करता हूं तथा सरकार से पुरजोर अपील करता हूं कि इसे जनकल्याण के हित में जल्दी से जल्दी वापस ले लिया जाये।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति जी, मैं इनके साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

सभापति महोदय : आप अपनी-अपनी स्लिप टेबिल पर भेज दीजिए, आपका नाम उसमें एसोसिएट हो जायेगा।

श्री बदरुद्दीन अजमल साहब, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मुद्दा आपने उठाया है, वह मुद्दा अभी हुक्मदेव नारायण जी ने अभी उठाया है, जो कॉमनवैल्थ गेम्स हैं, उसी के बारे में आपका है न, अगर आप चाहें तो अपने आपको इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं।